an>

Ttile: Need to provide financial assistance to farmers distressed due to loss of crops caused by excess rains and hailstroms in Sant Kabir Nagar Parliamentary Constituency, Uttar Pradesh.

श्री शरद त्रिपाठी (संत कबीर नगर) ः देश के कई हिस्सों में ओला एवं अतिवृष्टि से भारी तबाही हुई थी। पुनः बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होने से कुछ जगहों पर फिर से भारी तबाही हो रही है। वहीं उत्तर प्रदेश एवं बिहार के 19 संभाग सूखे के चपेट में हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश में मात्र 30 प्रतिशत बारिश हुई। कुल बारिश का आंकड़ा तो संतोषजनक है लेकिन यह इतनी असमानता के रूप में है कि देश को बाढ़ एवं सूखा दोनों का खतरा पैदा हो गया है। ऐसी परिस्थिति में केन्द्र सरकार उदारतापूर्वक प्रदेश सरकार के माध्यम से पीड़ित लोगों को सहायता पहुंचाने का कार्य कर रही है। अभी कुछ महीने पहले उत्तर प्रदेश एवं बिहार में अतिवृष्टि से हुए नुकसान पर पीड़ित किसानों को केन्द्र सरकार द्वारा पर्याप्त सहायता राशि उपलब्ध करायी गयी, किन्तु यह जानकर आश्चर्य हुआ कि उत्तर प्रदेश में पहले से ही तकनीकी आधार पर कुछ तहसीलों का चयन किया गया है। उन्हीं तहसीलों में कर्मचारियों द्वारा मनमाने तरीके से सहायता राशि का वितरण किया गया। उदाहरणस्वरूप मैं कहना चाहूंगा कि देश में सन्त कबीर नगर लोक सभा अंतर्गत तीन जिलों में ओला एवं अतिवृष्टि से हानि हुई थी किन्तु तकनीकी आधार पर आपदा क्षेत्र में घोषित नहीं होने के कारण मेंहदावल, खलीलाबाद तथा खजनी तहसीलों के किसानों को कोई सहायता राशि नहीं मिल पायी।

अतः मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि आपदा में सहायता राशि उपलब्ध कराने में किसी तकनीक को आधार बनाकर पीड़ित किसानों के साथ अन्याय न किया जाए।